स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/ अनु0—1039/2014 —सा0 प्र0— 8581 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना—15, दिनांक 15 जून,2015

विषय :— " जनता के दरबार में मुख्य मंत्री " कार्यक्रम/ माननीय मुख्य मंत्री की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कुछ ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आये हैं जिनमें " जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय से निर्गत निदेश के उपरान्त भी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के स्तर से उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यालय छोड़ने की याचना मुख्य सचिव, बिहार से की जाती है। जबकि " जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम माननीय मुख्य मंत्री की सहमति एवं अनुमति से संचालित होता है। संबंधित पदाधिकारियों को उक्त कार्यक्रम में भाग लेने का मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना से निर्गत निदेश प्रासंगिक संचालन का ही हिस्सा है। फलस्वरूप, ऐसे कार्य निदेश जो माननीय मुख्य मंत्री, बिहार की अनुमति से निर्गत हों, के अनुपालन के संबंध में किसी अन्य स्तर का निदेश/मार्गदर्शन अनपेक्षित है।

2. अतः प्राप्त निदेश के आलोक में अनुरोध है कि" जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय से निर्गत निदेश अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम आदि जिनमें संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री की स्वीकृति से ही भाग लेने हेतु निदेश जारी किये जाते हैं, के पश्चात् उन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु यात्रा करने एवं मुख्यालय छोड़ने के लिये किसी अन्य स्तर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
15/6/2015
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/ अनु0–1039/2014 –सा0 प्र0– /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक : जून,2015

विषय :– " जनता के दरबार में मुख्य मंत्री " कार्यक्रम/ माननीय मुख्य मंत्री की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कुछ ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आये हैं जिनमें " जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय से निर्गत निदेश के उपरान्त भी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के स्तर से उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यालय छोड़ने की याचना मुख्य सचिव, बिहार से की जाती है। जबकि " जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम माननीय मुख्य मंत्री की सहमति एवं अनुमति से संचालित होता है। संबंधित पदाधिकारियों को उक्त कार्यक्रम में भाग लेने का मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना से निर्गत निदेश प्रासंगिक संचालन का ही हिस्सा है। फलस्वरूप, ऐसे कार्य निदेश जो माननीय मुख्य मंत्री, बिहार की अनुमति से निर्गत हों, के अनुपालन के संबंध में किसी अन्य स्तर का निदेश/मार्गदर्शन अनपेक्षित है।

2. अतः प्राप्त निदेश के आलोक में अनुरोध है कि" जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्य मंत्री सचिवालय से निर्गत निदेश अथवा ऐसे अन्य कार्यक्रम आदि जिनमें संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री की स्वीकृति से ही भाग लेने हेतु निदेश जारी किये जाते हैं, के पश्चात् उन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु यात्रा करने एवं मुख्यालय छोड़ने के लिये किसी अन्य स्तर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/ अ0–1039/2014 –सा0प्र0– 8581/पटना–15 दिनांक: 15 जून,2015

प्रतिलिपिः– सभी विभागीय प्रधान/सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/2015
सरकार के अवर सचिव।